International Journal for Research Trends in Social Science & Humanities
Volume 4, Issue 2
Mar-Apr 2026, PP 1-9

महिलाओं के मौलिक अधिकार

प्रो. (डॉ.) सपना भारती (संस्कृत)
दमयंती राज आनंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिसौली, (बदायूँ)

श्री नवीन चन्देल (प्रधानाचार्य)
राजकीय हाईस्कूल करनपुर बिसौली, (बदायूँ)

'महिला अधिकार' का तात्पर्य उन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी अधिकारों से है जो महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। महिलाएं समाज का आधा हिस्सा हैं। किसी देश या समाज का सम्पूर्ण विकास महिलाओं के योगदान के बिना अधूरा एवं अवरुद्ध रहता है। संतुलित विकास के लिए महिलाओं का योगदान आवश्यक है। महिलाओं के अधिकार वे मानवाधिकार हैं, जो शिक्षा, समानता, सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीने की गारंटी देते हैं। भारतीय संविधान धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है और समान कार्य के लिए समान वेतन, मतदान, संपत्ति और कार्यस्थल पर सुरक्षा जैसे अधिकार प्रदान करता है।

महिलाओं के अधिकारों के लिए भारतीय संविधान में निम्न संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं–

1. अनुच्छेद 14:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार "भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी नागरिक को विधि के समक्ष समानता अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा।" समानता से यहाँ अभिप्राय यह है कि स्त्री व पुरुष में किसी भी प्रकार का लिंग भेद नहीं है तथा यह अधिकार समान रूप से दोनों को प्राप्त होगा।

2. अनुच्छेद 15:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार "राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं करेगा।" भारतीय संविधान में यह स्पष्ट है कि पुरुष एवं महिला को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं, साथ ही इस अनुच्छेद खंड (3) में स्त्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

3. अनुच्छेद 19:

महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है ताकि महिलाएं स्वतंत्रतापूर्वक भारत राज्य के क्षेत्र में आवागमन कर सकें। किसी भी कार्य से वंचित करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना गया है।

4. अनुच्छेद 23-24:

अनुच्छेद 23 व 24 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध होने वाले शोषण को नारी के मान-सम्मान के विपरीत मानते हुए उनकी खरीद-फरोख्त, वेश्यावृत्ति कराना आदि को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके लिए सन् 1956 में "इमोरल ट्रैफिक (प्रिवेंशन) एक्ट" भी भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया ताकि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सभी प्रकार के शोषण को समाप्त किया जा सके।

5. अनुच्छेद 39:

अनुच्छेद 39 के अनुसार स्त्री की जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार तथा अनुच्छेद 39 (d) के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक न्याय की प्राप्ति हो सके।

6. अनुच्छेद 42 एवं 46:

अनुच्छेद 42 महिलाओं को प्रसूति अवकाश प्रदान करता है। अनुच्छेद 46 राज्य के दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।

7. अनुच्छेद 51:

संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 (क) तथा (3) में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझते हुए ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के मान-सम्मान के खिलाफ हों।

8. अनुच्छेद 243:

अनुच्छेद 243 (d) के (3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गए स्थानों की कुल संख्या के 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे तथा चक्रानुक्रम से पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित किए जाएंगे।

9. अनुच्छेद 325:

अनुच्छेद 325 के अनुसार निर्वाचन नामावली में महिला एवं पुरुष दोनों को समान रूप से सम्मिलित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों एवं अत्याचारों के निवारण हेतु राज्य द्वारा प्रमुख कदम उठाए गए हैं–

(i) कानूनी ढांचा:

दहेज निषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005, और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम) अधिनियम 2013 जैसे सख्त कानून लागू किए गए हैं।

(ii) सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवाएं:

24×7 महिला हेल्पलाइन (181) और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (112) सक्रिय हैं। वन स्टॉप सेंटर (OSC) के माध्यम से हिंसा पीड़ित महिलाओं को चिकित्सीय, कानूनी सहायता और आश्रय प्रदान किया जाता है।

(iii) फास्ट-ट्रैक कोर्ट और जांच:

बलात्कार और यौन अपराधों के मामलों में तेजी से सुनवाई के लिए महिला पुलिस हेल्प डेस्क और स्पेशल सेल (AHTU) का गठन किया गया है।

नए आपराधिक कानून (2023):

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (BSA) 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं।

- महिला एवं बाल अपराधों को प्राथमिकता दी गई है तथा इन्हें BNS के अध्याय V में सम्मिलित किया गया है।
- विवाह, रोजगार आदि के झूठे वादों पर पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाना नया अपराध बनाया गया है।

- नाबालिग सामूहिक बलात्कार के मामलों में उम्र का अंतर समाप्त कर 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के लिए कठोर दंड (आजीवन कारावास या मृत्युदंड) का प्रावधान किया गया है।
- चिकित्सकों को बलात्कार पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को भेजना अनिवार्य किया गया है।
- पीड़िता का बयान यथासंभव महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए।

जागरूकता एवं संस्थागत प्रयास:

सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) और राज्य स्तरीय संस्थाओं के माध्यम से सेमिनार, कार्यशालाएं, मीडिया अभियानों द्वारा महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है।महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 22 जनवरी 2025 को "मिशन शक्ति पोर्टल" का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को विभिन्न सरकारी सेवाओं की सुलभता बढ़ाना, सुरक्षा, संरक्षण और पुनर्वास सुनिश्चित करना है।

संदर्भ–

1. भारत का संविधान–एक परिचय, बृज किशोर शर्मा, प्रिंटिंग हॉल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, 2008
2. भारतीय संविधान, डॉ. एम. वी. पायली, यूनाइटेड बुक हाउस, दिल्ली, 1977
3. गृह मंत्रालय, भारत सरकार, प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), 10 दिसम्बर 2025